प्रारूप संख्या आईएनसी–26
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केन्द्रीय सरकार (प्रादेशिक निदेशक) के समक्ष उत्तर क्षेत्र नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) छः के खण्ड (क) छः के मामले में

और

ASCLEPIUS WELLNESS PRIVATE LIMITED जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय Plot No. 18, Pocket-8, Block- C, Sector-17, Dwarka, New Delhi - 110075 INDIA स्थित है, के मामले में,

.....याचिकाकर्ता

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यह याचिकाकर्ता कम्पनी केन्द्रीय सरकार (प्रादेशिक निदेशक) के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाईल का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 'दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली)' से 'राजस्थान राज्य' में स्थानान्तरित करने के लिए तारीख 08 जून 2022 को आयोजित असाधारण साधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रारूप फाईल कर एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक –शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लेखित हाने के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक उत्तर क्षेत्र नई दिल्ली को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिन के भीतर B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या चूंकि वह उसकी है इसकी प्रति आवेदक कम्पनी को उनके निम्नलिखित कार्यालय के पते पर भी भेजेगा :
ASCLEPIUS WELLNESS PRIVATE LIMITED
Plot No. 18, Pocket-8, Block-C, Sector-17, Dwarka, New Delhi – 110075 INDIA
आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
For ASCLEPIUS WELLNESS PRIVATE LIMITED
Sd/-
DIRECTOR
(MAM CHAND RAIPURIYA)
(DIN: 06962986)

TATA PLAY FIBER

प्रिय ग्राहक, टाटा प्ले ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड ('TPBB') (पूर्व नाम टाटा स्काय ब्रॉडबैंड प्राइवेट लि.) में हम आपको यथासंभव बेहतरीन सेवाएं देने के लिए वचनबद्ध हैं. अगर किसी कारण से आप हमारी सेवाओं से संतुष्ट न हों या आपका कोई सवाल हो, तो आप हमसे निम्नअनुसार संपर्क कर सकते हैं:

हमें यहां लिखें **care@tataplayfiber.co.in**

TSBB कस्टमर केयर नंबर : **1-800-120-7777** (24x7 टोल–फ्री). अपनी शिकायत/पूछताछ का डॉकेट/शिकायत नंबर लेना याद रखें.

अगर आप हमारे प्रतिसाद से संतुष्ट नहीं हैं या आपकी शिकायत को सुलझाया नहीं जाता है, तो आप प्रीति सोंधलिया (अपील अधिकारी) से ईमेल: **appellateauthority@tataplayfiber.co.in** पर या कॉल 7982616399 पर (सुबह 9:30 बजे से शाम 6:30 बजे के बीच, सोमवार से शुक्रवार) संपर्क करके अपील कर सकते हैं.

''वेब–बेस्ड कॉम्प्लेन्ट मॉनिटरिंग सिस्टम' पर अपनी शिकायत की स्थिति जानने के लिए यहां लॉग ऑन करें **https://myaccount.tataplayfiber.co.in/Selfcare/**

सभी भुगतान केवल ऑनलाइन टाटा प्ले फायबर एप्प या टाटा प्ले सेल्फ–केयर पोर्टल पर करें. टाटा प्ले फायबर/TPBB केबर में कोई भुगतान, चैचार्ज या इंस्टॉलेशन चार्जेज स्वीकार नहीं करता है तथा किसी थर्ड पार्टी/लिंक को किसी गलत भुगतान या धोखेबाज़ी की गतिविधि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.

सभी अन्य नियमों व शर्तों के लिए, कृपया यहां विजिट करें **www.tataplayfiber.co.in**

रजिस्टर्ड ऑफिस: यूनिट 306, तीसरी मंजिल, विंडसर, ऑफ सी.एस.टी. रोड, कालिना, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई 400098. I CIN. : U64204MH2015PTC267808

टाटा प्ले टाटा प्ले है टाटा संस ग्राहक लिमिटेड के ट्रेडमार्क्स सभी स्काय ट्रेडमार्क्स, तथा उनकी कोई इंटरेक्चुअल प्रॉपर्टी का स्वामित्व स्काय इंटरनेशनल एजी के पास है, जिसका टाटा प्ले ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड ('पूर्व नाम टाटा स्काय ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड') द्वारा लाइसेंस के आधार इस्तेमाल किया गया है.

Indiabulls
COMMERCIAL CREDIT

INDIABULLS COMMERCIAL CREDIT LIMITED
(CIN: U65923DL2006PLC150632)
Registered Office: 5th Floor, Building No.27, KG Marg, Connaught Place, New Delhi – 110001
Tel: +91 11 4353 2950 **Fax:** +91 11 4353 2947.
Email: homeloans@indiabulls.com, **Web:** indiabullscommercialcredit.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 16th Annual General Meeting (AGM) of Indiabulls Commercial Credit Limited ("the Company") is scheduled to be held on Monday, September 26, 2022 at 11:00 A.M. at the Registered Office of the Company, to transact the business as listed in the Notice convening the said AGM.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and applicable rules thereunder that the Company has fixed Monday, September 26, 2022 as the Record Date / Book Closure Date for the purpose of payment of final dividend for the Financial Year ended March 31, 2022 & AGM.

Final Dividend, if approved by the Members, in respect of equity shares held in electronic form / physical form, will be payable to the beneficial owners of the shares as per the records furnished by the Depositories / whose names shall appear on Register of Members, respectively, as on Monday, September 26, 2022.

For Indiabulls Commercial Credit Limited
Sd/-
Place : Gurugram **Ajit Kumar Singh,**
Date : September 14, 2022 **Company Secretary**

Form no INC-26
[Pursuant to Rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
Before the Central Government
Regional Director, Northern Region
In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(6) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In the Matter of **Techmasters Infomatrix Private Limited** having its registered office at E-13, SECOND FLOOR, OFFICE NO.7, STREET NO.20, MADHU VIHAR, I.P. EXTENSION NEW DELHI 110092 IN .....Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on **28.07.2022** to enable the company to change its Registered office from **"State of Delhi"** to **"State of Uttar Pradesh"**.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the **Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi - 110003,** within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

TECHMASTERS INFOMATRIX PRIVATE LIMITED
(CIN: U74999DL2015PTC283945)
E-13, SECOND FLOOR OFFICE NO.7, STREET NO.20,
MADHU VIHAR, I.P. EXTENSION NEW DELHI East Delhi DL 110092 IN
Email: aknconp@yahoo.in

ANAND SINGH
Director
Din 03179462
104, IMPERIAL BLOCK, ELDECO GREEN
GOMTINAGAR LUCKNOW Uttar Pradesh
India 226010
DATE:
PLACE: DELHI

परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) वाणिज्यिक अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **ललित कुमार; आरव श्रीकर जैन दुधर्स , ई-962, गली नं.-6, श्री राम कॉलोनी, करावल नगर, दयालपुर, नई दिल्ली, दिल्ली - 110094, ललित कुमार; मकान नं.-ई 962, गली नं.-6, श्री राम कॉलोनी, रजनी नगर, दयालपुर, नई दिल्ली, दिल्ली - 110094, ज्योति; मकान नं.-ई 962, गली नं.-6, श्री राम कॉलोनी, रजनी नगर, दयालपुर, नई दिल्ली, दिल्ली - 110094, सरोज ; मकान नं.-ई 962, गली नं.-6, श्री राम कॉलोनी, रजनी नगर, दयालपुर, नई दिल्ली, दिल्ली - 110094,** को **27.09.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLDMT00336796** की राशि **रू.19,78,236.52 (रूपये उन्नीस लाख अठ्ठहत्तर हजार दो सौ छत्तीस और बावन पैसे मात्र)** और **14.09.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उस सूचना की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभिस्वाना सूचना जारी की थी ।

भगताि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **12.09.2022** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू.19,78,236.52 (रूपये उन्नीस लाख अठ्ठहत्तर हजार दो सौ छत्तीस और बावन पैसे मात्र) 14.09.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा।

आपकाकोजी का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अनंतर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं.-एफएफ-305, क्षेत्र 491वर्ग फीट, पहली मंजिल, पीछे की ओर मध्य भाग, प्लॉट नं.-एमएम-17, डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी परगना, गाज़ियाबाद- 201102, उत्तर प्रदेश।

सही/-
दिनांक : 12.09.2022 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : गाज़ियाबाद **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड**

परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) वाणिज्यिक अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **राजेश शाकुरिया, चंद्र शेखर और आरती देवी को 10.03.2022** को सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLDPR00492381** की राशि **रू.16,48,550.80 (रूपये सोलह लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ पचास और अस्सी पैसे मात्र)** और **08.03.2022** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभिस्वाना सूचना जारी की थी ।

भगताि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **12.09.2022** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू.16,48,550.80 (रूपये सोलह लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ पचास और अस्सी पैसे मात्र) 08.03.2022** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा।

आपकाकोजी का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अनंतर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं.-ए/एफएफ-10, दूसरी मंजिल, सामने बाईं हाथ की ओर, प्लॉट नं-बी-8/1, डीएलएफ अंकुर विहार, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201102।

सही/-
दिनांक : 12.09.2022 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : गाज़ियाबाद **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड**

परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) वाणिज्यिक अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **ज़ियाउद्दीन उर्फ मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, आलिया परवीन, मेसर्स ज़ियाउद्दीन अँड वसीम अहमद फोम हाउस थ्रु इट्स पार्टनर्स और वसीम उर्फ वसीम अहमद को 10.12.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLDMT00461049** की राशि **रू.11,16,461.12 (रूपये ग्यारह लाख सोलह हजार चार सौ इकसठ और बारह पैसे मात्र)** और **26.11.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभिस्वाना सूचना जारी की थी ।

भगताि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **12.09.2022** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू.11,16,461.12 (रूपये ग्यारह लाख सोलह हजार चार सौ इकसठ और बारह पैसे मात्र) 26.11.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा।

आपकाकोजी का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अनंतर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं.-गुजीएफ-6, मापित 325 भी. फीट्स् या 30.19 भी. मीटर्स, एलआईजी, ऊपरी तल मंजिल, पीछे की ओर मध्य भाग, डीएलएफ अंकुर विहार, प्लॉट नं.-बी-D-8/29, गाँव लोनी, तहसील लोनी, जिला गाज़ियाबाद-201102, उत्तर प्रदेश।

फ्लैट की सीमाएं :-

पूर्व : फ्लैट नं.-गुजीएफ-5 (एलआईजी) पश्चिम : फ्लैट नं.-गुजीएफ-7 (एलआईजी)
उत्तर : सामान्य पैसेज और एलएमी; सीढ़ियाँ दक्षिण : अन्य की जमीन

सही/-
दिनांक : 12.09.2022 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : गाज़ियाबाद **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड**

पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज
Corporate Identity Number (CIN): U74899DL1951NPLC001947
पीएचडी हाउस, पीएचडी हाउस 4/2 सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया अगस्त क्रांति मार्ग नई दिल्ली-110016
फोन न. 91-11-49545454, इमेल: www.phdcci.in, इमेल: mohit.luthra@phdcci.in

वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा ई-वोटिंग एवं रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों तथा उसके अधीन गठित नियमों के साथ पठित कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी (सामूहिक रूप से "एमसीए सर्कुलर" कहा गया है) साधारण सर्कुलर न. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 19/2021 दिनांक 8 दिसम्बर, 2021, 21/2021 दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 तथा 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022 के अनुपालन के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विज़ुअल साधनों ("ओएपीएम") के जरिए इस एजीएम आह्वान की सूचना ("एजीएम सूचना") में संलग्न व्यवसायिक मदों पर चर्चा करने के लिए पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज ("चेम्बर") के सदस्यों की 117वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को सायं 05.30 बजे (भारतीय) आयोजित की जाएगी।

अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसार चेम्बर ने एजीएम के लिए ई-वोटिंग/रिमोट ई-वोटिंग ("ई-वोटिंग") की सुविधा प्रदान करने हेतु सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस लिमिटेड ("सीडीएसएल") को नियुक्त किया है।

चेम्बर के सभी सदस्यों को चेम्बर के पास पंजीकृत उनके ई-मेल पते पर ई-मेल के जरिए सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजने का कार्य समाप्त कर लिया गया है। सूचना भेजने का कार्य बुधवार, 14 सितम्बर, 2022 को पूरा कर लिया गया है। एजीएम की सूचना चेम्बर की वेबसाइट **www.phdcci.in** तथा सीडीएसएल की वेबसाइट **www.evoting.cdsl.in** पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को (सुबह 09.00 बजे भारतीय) शुरू होगी तथा बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022 को (सायं 5.00 बजे भारतीय) समाप्त होगी। इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए अथवा एजीएम में वोट डालने के लिए पात्रता सुविच्छित करने की क्रीज तारीख शनिवार, 24 सितम्बर, 2022 है। जिन सदस्यों के नाम अंतिम तारीख को सदस्यों के रजिस्टर में वर्ज हैं सिर्फ वे ही रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे। गारंटी द्वारा सीमित एक कंपनी होने के कारण चेम्बर की शेयर पूंजी नहीं है। इसलिए चेम्बर के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होगा। ऊपर उल्लेखित तारीख एवं समय के उपरांत रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-वोटिंग हेतु निर्देशावलियां सूचना में प्रदत्त है, जो चेम्बर की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कोई भी व्यक्ति, जो सूचना भेजे जाने के बाद चेम्बर का सदस्य बने हैं एवं जिनका नाम अंतिम तारीख यानी 24 सितम्बर, 2022 को सदस्यों के रजिस्टर में वर्ज नहीं है, वे evoting@cdsl.in पर अनुरोध भेज कर लॉग इन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। वीसी/ओएपीएम के जरिए एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने वोटाधिकार का प्रयोग नहीं किया है तथा उन पर ऐसा करने के लिए किसी भी तरह की रोक नहीं है, ऐसे सदस्य एजीएम के दौरान वोट डालने के पात्र होंगे।

ऐसे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डाल चुके हैं वे एजीएम में शामिल होने के पात्र होंगे। हालांकि वे एजीएम में वोट डालने के पात्र नहीं होंगे। सदस्यगण वोट का सिर्फ एक प्रारूप यानी रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग का विकल्प चुन सकते हैं। दोनों प्रारूपों में वोट डाले जाने की परिस्थिति में रिमोट ई-वोटिंग के जरिए डाले गए वोट को अंतिम वोट माना जाएगा तथा एजीएम में ई-वोटिंग पर विचार नहीं किया जाएगा।

अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके तहत गठित नियमों के अनुसार स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया के संचालन के लिए चेम्बर ने जांचकर्ता के रूप में डॉ. एस. चंद्रशेखरन (सीपी: 715), वरिष्ठ साझेदार तथा उनकी अनुपस्थिति में श्री रूपेश कुमार अग्रवाल (सीपी: 5673), प्रबंधन साझेदार, मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स को नियुक्त किया है।

रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी तरह के प्रश्न अथवा शिकायत रहने पर आप पीएचडी हाउस, 4/2 सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग नई दिल्ली 110016 में श्री मोहित लुथरा, सहायक महासचिव से **mohit.luthra@phdcci.in**/9811517722 अथवा सुश्री शिवानी गुप्ता, संयुक्त सचिव से **shivani.gupta@phdcci.in**/9810959998 पर सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सदस्यगण **www.evotingindia.com** के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध ई-वोटिंग से संबंधित सदस्यों के लिए क्रियेटलीं ऑफ्क्स फ्वेस्क्स (एफएक्यू) तथा सदस्यों के लिए ई-वोटिंग युजर मैनुअल भी देख सकते हैं।

पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के लिए तथा उनकी ओर से
हस्ता/-
दिनांक : 15 सितम्बर, 2022 (सौरभ सन्याल)
स्थान : दिल्ली **महासचिव**

नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
प्रधम तल, रघुनाथपुर, एम. पी. रोड-1, सेक्टर 22, नोएडा - 201301 (यू.पी.), फोन: 0120-4503013

सार्वजनिक सूचना

मैसर्स स्वर्णकेमो मैटेडिक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, सीअडीएन नं U51100UP2017PTC089745, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 2, जिला कॉड, संडवा नगर, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201002 के निदेशकों / अधिकृत अधिकारियों को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स चेम्बर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा आपके खिलाफ एक दिवाला याचिका **CP (IB) NO. 61/ALD/2022**, माननीय एनसीएलटी-इलाहाबाद के समक्ष दायर की गयी है।

यह मामला **19.07.2022** को सूचीबद्ध किया गया था जिसके द्वारा माननीय एनसीएलटी ने आपको नोटिस जारी किया था। उपरोक्त याचिका की प्रति आपको ईमेल दिनांक **24.06.2022** के माध्यम से अंतिम रूप से दी गई थी। याचिका की हार्ड कॉपी **26.07.2022** को कंपनी के पंजीकृत पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेजी गई थी, जिसे **02.08.2022** को वापस कर दिया गया था।

याचिका की प्रति की सेवा कंपनी के निदेशकों पर स्पीड पोस्ट दिनांक **27.07.2022** के माध्यम से पूर्ण है। उपरोक्तानुसार वर्तमान सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जा रही है, जिसमें आपको उक्त कार्यवाही के बारे में सूचित किया जा रहा है, जो माननीय एनसीएलटी, इलाहाबाद बेंच के समक्ष चल रही है और सुनवाई की अगली तिथि **04.10.2022** तय की गई है।

इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त कार्यवाही में अपनी उपस्थिति और भागीदारी को व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से चिह्नित करें और अपरेरा दिनांक **19.07.2022** को भी चलत करें।

हस्ता./-
अधिकृत अधिकारी,
नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
आवेदक विनीय लेनदार

नोबल बैंक
हे.ऑ.: प्रथम तल, एम.पी.रोड-1 रोड, रघुनाथपुर, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर

परिशिष्ट-4 नियम 8(1) देखें
अचल सम्पत्ति के लिए कब्जा नोटिस

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लि.**, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि **01.07.2022** को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें **श्रीमति निधि त्रिपाठी और श्री जी.के.त्रिपाठी** को मांग सूचना में वर्णित धनराशि **रू. 35,30,739/- (रूपये पैंतीस लाख तीस हजार सात सौ उन्नतीस मात्र) 31 मई 2022 तक** खाता के समझाना ब्याज, दंड ब्याज, कानूनी व्यय, वसूली खर्च और विविध खर्च उपरोक्त उक्त ऋण राशि में निपटारे की तारीख के बाद की राशि शामिल है उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने को कहा गया था।

उधारकर्ता इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अत: एतद्वारा उधारकर्ता तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, दिनांक **14 सितम्बर, 2022** को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित की वित्तीय परिसंपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इस संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय वास्तविक भुगतान को विधि तक ब्याज, दंडात्मक ब्याज, अनुषांगिक खर्च, लागत, चार्जेज आदि के साथ **रू. 35,30,739/-(रूपये पैंतीस लाख तीस हजार सात सौ उन्नतीस मात्र) 31 मई 2022 तक** की राशि के लिए **नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लि.** के चार्ज के अधीन होगा।

सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाए जाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 के उपधारा 8 के प्रावधान के लिए उधारकर्ताओं के ध्यान को आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

आवासीय सम्पत्ति का वह सम्पूर्ण हिस्सा जो खसरा नम्बर-1065, गांव छौलाम, तहसील पलवी, जी.बी.नगर में स्थित विक्रया क्षेत्रफल 299.251 वर्ग मीटर है जिसकी सीमाएँ: उत्तर की ओर: साइट प्लान के अनुसार, दक्षिण की ओर: साइट प्लान के अनुसार, पूरब की ओर: साइट प्लान के अनुसार, पश्चिम की ओर: साइट प्लान के अनुसार

दिनांक: 14.09.2022 **एसडी/-प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: नोएडा **नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नोएडा**

नोबल बैंक
हे.ऑ.: प्रथम तल, एम.पी.रोड-1 रोड, रघुनाथपुर, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर

परिशिष्ट-4 नियम 8(1) देखें
चल सम्पत्ति के लिए कब्जा नोटिस

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लि.** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि **29.10.2018** को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता **श्री अनिल कुमार** को मांग सूचना में वर्णित धनराशि **रू. 15,86,983/-(रूपये पन्द्रह लाख छियासी हजार नौ सौ तिरासी मात्र)** साथ में साधारण ब्याज, दंड ब्याज, कानूनी व्यय, वसूली खर्च और विविध खर्च उपरोक्त उक्त ऋण राशि में निपटारे की तारीख के बाद की राशि शामिल है उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने को कहा गया था।

उधारकर्ता इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अत: एतद्वारा उधारकर्ता तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, दिनांक **14 सितम्बर, 2022** को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इस संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय वास्तविक भुगतान को विधि तक ब्याज, दंडात्मक ब्याज, अनुषांगिक खर्च, लागत, चार्जेज आदि के साथ **रू. 15,86,983/-(रूपये पन्द्रह लाख छियासी हजार नौ सौ तिरासी मात्र) 31 अगस्त 2018 तक** की राशि के लिए **नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लि.** के चार्ज के अधीन होगा।

सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाए जाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 के उपधारा 8 के प्रावधान के लिए उधारकर्ताओं के ध्यान को आमंत्रित किया जाता है।

चल संपत्ति का विवरण

Details of Securities Mortgaged/Hypothecated: 1, Vehicle Registration No.: UP 16CT 8681, Engine No.: 809619, Chassis No.: C01429, Model: